



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर
संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर

फोन/फैक्स नं०-6432-232397, मो०-9431137795, ईमेल-dfo.deoghar2@gmail.com



पत्रांक 02-02 व०भू०/02(01)13/2016 3875 दिनांक 30.12.16

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
देवघर वन प्रमंडल, देवघर।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पुनासी बाँध प्रमंडल, पुनासी,
शिविर देवघर।

विषय :

देवघर वन प्रमंडल, देवघर के अन्तर्गत पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर में लगाये गये शर्तों के संबंध में।

प्रसंग :

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003, के पत्रांक F.No.-08-06/2016-FC, दिनांक 22.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की प्रथम स्तर की स्वीकृति को निम्नलिखित 31 (एकतीस) शर्तों के साथ दी गयी है। भारत सरकार के द्वारा लगाये गये शर्तों का शर्तवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय :-

Sl. No.	Condition	Compliance
1	2	3
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Under taking) समर्पित किया जाय।
2	Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised within three years from the date of Stage-II Clearance and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रस्तावित 291.17 हे. वनभूमि के समतुल्य क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये गये 291.46 हे. गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर पर तैयार प्राक्कलन के आधार पर रू. 7,22,67,999.00 (सात करोड़, बाईस लाख सड़सठ हजार नौ सौ निनानवे रुपये) मात्र क्षतिपूरक वनरोपण मद में जमा कराने हेतु बैंक ड्राफ्ट Ad-hoc CAMPA in SB-Account No. - SB01025212, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, CGO कॉम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पक्ष में तैयार कर जमा किया जाय अथवा IFSC No.-CORP0000371 में RTGS के माध्यम से जमा किया जाय तथा साक्ष्य की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय में समर्पित किया जाय।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
पुनासी बाँध प्रमण्डल, पुनासी शि० देवघर
डायरी संख्या-..... 024
दिनांक-..... 02.01.17

3:	Imposition of Penal NPV for twice the area of 30.25 hectares for the time period for which area remained under violation of Forest (Conservation) Act, 1980 ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु पुनासी जलाशय परियोजना के अन्तर्गत दण्डात्मक NPV हेतु 30.25 हे. से दोगुने अर्थात् 60.50 हे. के विरुद्ध 6.26 लाख प्रति हे. की दर से (60.50x6.26) 3,78,73,000.00 (तीन करोड़ अठहत्तर लाख तिहत्तर हजार रुपये) मात्र NPV में जमा करने हेतु बैंक ड्राफ्ट Ad-hoc CAMPA in SB-Account No. - SB01025212, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, CGO कॉम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पक्ष में तैयार कर जमा किया जाय अथवा IFSC No.-CORP0000371 में RTGS के माध्यम से जमा किया जाय तथा साक्ष्य की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय में समर्पित किया जाय।
4	Penal compensatory Afforestation to be raised over an area 5 times in extent to the area under violation i.e. 30.25 Ha;	इस शर्त के अनुपालन हेतु दंडात्मक क्षतिपूरक वनरोपण के लिए (30.25 हे. x 5) अर्थात् 151.25 हे. कुल गैर वनभूमि की विवरणी उपलब्ध करायी जाय, ताकि वर्तमान मजदूरी दर पर प्राक्कलन तैयार कर राशि की मांग की जा सके।
5	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए चयनित 291.46 हे. गैर वनभूमि का नामांतरण (Mutation) राज्य वन विभाग, झारखण्ड सरकार के पक्ष में कराकर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाय।
6	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India topo sheet of 1:50,000 scale ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु सर्वे ऑफ इंडिया के टोपो शीट 1:50000 के पैमाने के मानचित्र पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 291.46 हे. गैर वनभूमि को सुस्पष्ट दिखाकर 10 (दस) प्रतियों में समर्पित किया जाय।
7	Non-forest land to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for raising Compensatory Afforestation shall be notified as reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act. The Nodal officer must report compliance within a period of 6 month from the date of grant of final approval and send a copy of the notification declaring the revenue land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the local Forest Act as the case may be, to this Ministry for information and record.	इस शर्त के अनुपालन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 291.46 हे. गैर वनभूमि को राज्य वन विभाग, झारखण्ड सरकार के पक्ष में नामांतरण कराकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत रक्षित वन (Reserved Forest) अथवा धारा 29 के तहत सुरक्षित वन (Protected Forest) या स्थानीय अधिनियम की सुसंगित धाराओं के तहत अधिसूचना हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाय।
8	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 291.46 हे. गैर वनभूमि का पुनरक्षित कुल प्राक्कलित राशि 7,22,67,999.00 (सात करोड़, बाईस लाख सड़सठ हजार नौ सौ निनानवे रुपये) मात्र बैंक ड्राफ्ट Ad-hoc CAMPA in SB-Account No. - SB01025212, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, CGO कॉम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पक्ष में तैयार कर जमा किया जाय अथवा IFSC No.-CORP0000371 में RTGS के माध्यम से जमा किया जाय तथा साक्ष्य की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय में समर्पित किया जाय।

9	The User Agency shall transfer the funds for the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter no. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 through online portal of Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned.	इस शर्त के अनुपालन हेतु 291.17 हे. वनभूमि के विरुद्ध 6.26 लाख रुपये प्रति हे. की दर से कुल रुपये 18,22,72,420.00 (अठारह करोड़ बाईस लाख बहत्तर हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र NPV जमा करने हेतु बैंक ड्राफ्ट Ad-hoc CAMPA in SB-Account No. - SB01025212, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, CGO कॉम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पक्ष में तैयार कर जमा किया जाय अथवा IFSC No.-CORP0000371 में RTGS के माध्यम से जमा किया जाय तथा साक्ष्य की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय में समर्पित किया जाय।
10	The State Government shall realize cost of implementation of Catchment Area Treatment (CAT) Plan and transfer the same to Ad-hoc CAMPA.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता संस्थान द्वारा समर्पित Catchment Area Treatment Plan (CAT PLAN) को वर्तमान मजदूरी दर पर पुनः संशोधित किया जाय ताकि CAT PLAN के क्रियान्वयन हेतु राशि की मांग की जा सके।
11	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने या अन्य किसी प्रकार से कमी पाये जाने पर अतिरिक्त एन.पी.वी. की राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
12	Any fund received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA through online portal of Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु सभी प्रकार के फंड को Ad-hoc CAMPA के खाते में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किये जाने संबंधी वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
13	A Catchment area treatment plan as approved by State Government be implemented by/or under the supervision of State Forest Department at the project cost;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
14	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required;	इस शर्त के अनुपालन हेतु पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख 10 (दस) प्रतियों में समर्पित किया जाय।
15	No labour camp shall be established on the forest land;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
16	The User Agency shall provide fuels preferable alternate fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
17	The boundary of the diverted forest land, safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु अपयोजित होनेवाली वनभूमि को 4' (चार फीट) ऊँचाई के कंक्रीट पीलर से सीमांकित करते हुए प्रत्येक पीलर का क्रमांक, फॉरवर्ड बियरिंग, बैकवर्ड बियरिंग, पीलर से पीलर की दूरी संबंधी सूचना समर्पित किया जाय। सीमांकन में यह ध्यान रहे कि प्रत्येक पीलर एक दूसरे से दिखायी दें तथा दो पीलर के बीच की दूरी 50 मीटर से अधिक नहीं है।

18	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
21	The water shall be provided from the reservoir to the Forest Department for raising and maintenance of plantations and nurseries around the site whenever required, free of charge. The quantity and time of supply of water shall be decided by the Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
22	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
23	Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department;	इस शर्त के अनुपालन हेतु न्यूनतम वृक्षों का पातन होने संबंधित वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय। साथ ही वृक्ष-गणना सूची तैयार की जाय। वन विभाग के प्रतिनिधि एवं प्रयोक्ता संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा गणना सूची प्रतिहस्ताक्षरित की जाय ताकि पातन आदेश दिया जा सके।
24	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir and canals (as applicable);	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
25	The User Agency shall carry out muck/silt disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down ;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
26	The dumping area for muck/silt disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the User Agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
27	The State Government and the User Agency shall ensure that the trees available between full reservoir level (FRL) and FRL-4 meters are not felled;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
28	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition for Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and	इस शर्त के अनुपालन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत राज्य सरकार से प्राप्त अभिलेख दस प्रतियों में समर्पित किया जाय।

	submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No.-11-9/1988-FC (Pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013, in support thereof;	
29	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
30	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।
31	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर